

आवश्यक
नगरपालिका आम चुनाव, 2017
सामान्य निदेश



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या -न.नि.50-24/2022- 3853

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक - 14.9.22

विषय : नगरपालिका का आम निर्वाचन 2022 - नामांकन पत्र के साथ संलग्न 'प्रपत्रों' में सूचना अंकित करने के संबंध में।

प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2986 दिनांक 02.08.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र से निर्वाचन संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। नामांकन पत्र के साथ संलग्न 'प्रपत्रों' में सूचना अंकित करने के संबंध कतिपय जिलों द्वारा पृच्छा की जा रही है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्देश दिये गये हैं :-

(क) No dues certificate (बकाया रहित प्रमाण पत्र) -

नवगठित/सीमा विस्तारित नगर निकाय अन्तर्गत स्थित दूकान/होलिडिंग, जहाँ होलिडिंग दर का निर्धारण (Rate Fixation) नहीं किया गया है, वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशासक द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन के आलोक में इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि 'नवगठित/सीमा विस्तारित नगर परिषद/नगर पंचायत अन्तर्गत वर्तमान में होलिडिंग का निर्धारण (Rate Fixation) नहीं किया गया है।' निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत उक्त प्रमाण-पत्र को ही No dues certificate (बकाया रहित प्रमाण पत्र) के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त नगरपालिकाओं में अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र भरे जाने हेतु बकाया रहित प्रमाण पत्र की माँग की जा रही है, संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा उन नगरपालिकाओं के प्रशासक/कार्यपालक पदाधिकारी प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों को बकाया रहित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु निदेशित की जाय।

(ख) अचल सम्पत्ति का विवरण -

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र 'प्रपत्र-ख के साथ संलग्न अनुसूची' की कंडिका 5 (क) में अभ्यर्थी अपनी परिसम्पत्ति, अपने पति/पत्नी एवं एवं आश्रितों सहित की अचल सम्पत्ति की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य विवरण स्वमूल्यांकित कर देगा। किसी अन्य प्राधिकार द्वारा उक्त के संबंध में निर्गत कागजात की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

14.9.22

(ग) वाहन निबंधन से संबंधित कागजात -

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र 'प्रपत्र-ख के साथ संलग्न अनुसूची' की कंडिका 5 (ख)(v) में अंकित अभ्यर्थी के स्वामित्व वाले वाहन की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना ही पर्याप्त है। निबंधन पेपर (RC) पर जिला परिवहन पदाधिकारी के मुहर/हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

(घ) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(ड) अभ्यर्थी के प्रस्ताव एवं समर्थक पर लागू -

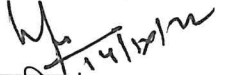
बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(ड) अभ्यर्थी के साथ-साथ प्रस्ताव एवं समर्थक पर लागू होगी। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18(1)(ड) के अधीन अभ्यर्थी को दो से अधिक जीवित संतान (यदि तीसरी या अधिक संतान का जन्म 04.04.2008 के पश्चात है तो वह निर्वाचन हेतु निर्हरित होगा) संबंधी प्रावधान अभ्यर्थी के प्रस्तावक एवं समर्थक के संबंध में भी प्रवृत्त/लागू हैं। परन्तु प्रस्तावक एवं समर्थक के द्वारा उक्त आशय का कोई लिखित प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया जाना है।

(ङ) आवासीय प्रमाण-पत्र या चरित्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं -

समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचना प्राप्त हो रही है कि नामांकन पत्र के साथ आवासीय या चरित्र प्रमाण-पत्र की माँग की जा रही है। इस संबंध में स्पष्ट किया जा रहा है कि नामांकन पत्र के साथ आवासीय प्रमाण-पत्र या चरित्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि आयोग के उक्त निदेशों से सभी निर्वाची पदाधिकारियों/सहायक निर्वाची पदाधिकारियों एवं सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-24/2022 - 3853

पटना, दिनांक - 14.9.22

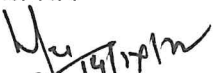
प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाइट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-24/2022 - 3853

पटना, दिनांक - 14.9.22

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।